संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3345 तारांकित दिनाँक 27-02-2017 के प्रश्नांश (ग) की जानकारी

मध्यप्रदेश में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के परोक्ष, पारिवारिक, स्थानीय, अथवा कई अन्य कारण हो सकते है । मध्यप्रदेश में किसानों की आर्थिक प्रगति उन्नयन हेतु विभागीय योजनांतर्गत प्रदाय लाभ विवरण निम्नानुसार है-

- मध्यप्रदेश भारत का दूसरा बड़ा कृषि प्रधान राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान सातवां है।

- प्रदेश की वर्ष **2011-12** में कृषि विकास दर **18.91** प्रतिशत आंकी गई है राज्य के लिये **11** वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित **5** प्रतिशत कृषि विकास दर की तुलना में **9.2** प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल की गई।

- मध्यप्रदेश में किसानों की जोत संख्या **79.08** लाख हैक्टर है। इनमें से एक हैक्टर से कम रकबे वाले किसानों का **40.45 %** तथा एक से दो हैक्टर वाले किसानों का **27.15 %** है। इन किसानों के पास कुल क्षेत्रफल का **46.05 %** है। स्पष्टतः प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों का बाहुल्य है। इनमें से **9.09 %** अ.जा.तथा **15.04 %** अनु.जनजाति के कृषक है। सभी वर्गो के किसानों के कल्याण के लिये अनेक योजनाऐं संचालित है। इन योजनाओं में अ.जा. तथा अ.ज.जा. किसानों और लघु-सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान दिया जाता है।

- मध्यप्रदेश में सहकारी कृषि ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर शून्य प्रतिशत है। इससे पूर्व भी सहकारी ऋण पर ब्याज की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम ही रही है।

- पूर्व में किसानों को **15-16** प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मिलता था किन्तु वर्ष **2006** से **2008** में **7 %** ,वर्ष **2008-2010** में **5 %** , वर्ष **2010-11** में **3 %** और **2011-12** में **1%** ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में ब्याज मुक्त कृषि ऋण देकर किसानों का वित्तीय भार कम करने का प्रयत्न राज्य शासन द्वारा किया गया है। इस प्रकार साहूकारों और निजी कर्जदाताओ से किसानों को बचाने की पूरी कोशिश शासन द्वारा की जा रही है।

- विगत वर्षो में लगातार खेती का रकबा और ज्यादातर फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ रही है। धान और गेहूं के समर्थन मूल्यों पर अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है जिससे किसानों को उनके परिश्रम का सम्मानजनक मूल्य प्राप्त हो रहा है। सोयाबीन और अन्य फसलों के दामों में काफी अच्छी वृद्धि हुई है । जिससे किसानों की शुद्ध आय और आर्थिक स्तर मे वृद्धि हुई है ।

- प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना अंतर्गत निर्धारित दावा राशि बीनित कृषकों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है । तदानुसार कृषको को योजना अंतर्गत बीमा लाभ प्राप्त हो रहा है ।

- मंडी समितियों में सुगमता पूर्वक आवक तथा विपणन के लिये भी किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है।

- राज्य सरकार द्वारा लघु- सीमान्त किसानों और कमजोर तथा पिछड़ी सामाजिक स्थिति वाले समुदायों के लिये कई अनुदान योजनाओं में राज्य सरकार की ओर से टाप अप अनुदान देकर आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

- कृषि कार्यक्रम निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक ग्राम के महिला और पुरूष किसानों को प्रशिक्षण देकर सम्पर्क किसान अथवा स्थानीय परामर्शदाता के रूप में पहचान स्थापित की गई है जिससे क्षेत्रीय समस्याओं को चिन्हित करना आसान हुआ है।प्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिये विभाग द्वारा शासन की विभिन्न योजनांतर्गत किसानों को अनुदान एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है।

संयुक्त संचालक (पौ.सं.)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल